भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3002

उत्तर देने की तारीख : 07.08.2025

एमएसएमई विनिर्माण क्लस्टरों को तकनीकी सहायता

3002. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमएसएमई विनिर्माण क्लस्टरों और कौशल विकास पहलों को समर्थन देने के लिए नए टूल रूम या प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) महिला उद्यमियों को वित्त, प्रशिक्षण और बाजार संपर्क तक पहुंच प्रदान करने में सहायता के लिए कौन-कौन सी लक्षित योजनाएं मौजूद हैं; और

(ग) एमएसएमई निर्यात बढ़ाने और लघु उद्यमों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कौन सी नई रणनीतियां क्रियान्वित की जा रही हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : जी हां। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने मौजूदा 18 प्रौद्योगिकी केन्द्रों के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीपीएस) के तहत 15 प्रौद्योगिकी केन्द्रों में से 9 नए प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए हैं। एमएसएमई को सहायता प्रदान करने और कौशल संबंधी पहलों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय 20 अतिरिक्त प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना हेतु नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों/विस्तार केन्द्रों (टीसीईसी) की स्थापना की स्कीम को क्रियान्वित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, क्लस्टर पद्धति को अपनाते हुए एमएसई के समग्र विकास के लिए एमएसई की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ, यह मंत्रालय सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) भी क्रियान्वित करता है।

(ख) : एमएसएमई मंत्रालय महिला उद्यमियों सहित एमएसएमई के लिए वित्त, प्रशिक्षण और विपणन लिंकेजेस तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्कीम/कार्यक्रम जैसे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), सार्वजनिक खरीद नीति (पीपीपी), खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस), एमएसएमई व्यापार समर्थ और विपणन पहल (एमएसएमई टीम पहल), एमएसएमई चैंपियंस स्कीम, कयर विकास योजना, पीएम विश्वकर्मा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम क्रियान्वित करता है।

इसके अतिरिक्त, महिला उद्यमियों की सहायता के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं:

- एमएसई (सीजीटीएमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत, सूक्ष्म और लघु उद्यमों की महिला उद्यमियों के लिए 90% तक का गारंटी कवरेज और वार्षिक गारंटी फीस में 10% तक की छूट दिनांक 01.12.2022 से प्रभावी है।
- प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत, महिला उद्यमियों को गैर-विशेष श्रेणी में 25% सब्सिडी की तुलना में 35% तक अधिक सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- सार्वजनिक खरीद नीति (पीपीपी) के अनुसार सीपीएसई/मंत्रालयों/विभागों द्वारा वार्षिक खरीद में से 3% खरीद महिला-स्वामित्व वाले सूक्ष्म उद्यमों से की जानी आवश्यक है।

- एमएसएमई-सतत (ज़ेड) प्रमाणीकरण स्कीम के तहत ज़ेड प्रमाणीकरण की लागत पर महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई के लिए 100% सब्सिडी।
- एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (लीन) स्कीम के तहत महिला स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए क्रियान्वयन लागत पर भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त 5% योगदान।
- कयर विकास योजना के तहत 'कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना कयर क्षेत्र में कार्यरत महिला कारीगरों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में क्रियान्वित की जा रही है।
- खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) के तहत, महिला उद्यमियों को अन्य उद्यमों के लिए 80% सब्सिडी की तुलना में 100% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- एमएसएमई नवोन्मेष स्कीम के इंक्यूबेशन घटक के तहत महिलाओं के लिए विशेष रूप से आइडिया हैकाथन 3.0 आयोजित किया जाता है।

(ग) : एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई को उनके उत्पादों तथा सेवाओं के निर्यात में एमएसएमई को अपेक्षित परामर्श और सहायता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ अपने फील्ड कार्यालयों नामश: एमएसएमई-विकास केन्द्रों, एमएसएमई प्रोद्यौगिकी केन्द्रों और एमएसएमई परीक्षण केन्द्रों में 65 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफ़सी) स्थापित किए हैं।

*****